//

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/44/2022	2022/111	14.02.2022	14.05.2024

1. हरिकृष्ण पुत्र मूलचन्द, जाति ब्राह्मण, निवासी तालाब, तहसील राजगढ, जिला अलवर, राजस्थान।
2. अनोखी देवी पत्नी स्व0 कैलाश चन्द, जाति ब्राह्मण, निवासी तालाब, तहसील राजगढ, जिला अलवर, राजस्थान।
3. आनन्दी देवी पत्नी स्व0 शिम्भूदयाल, जाति ब्राह्मण, निवासी तालाब, तहसील राजगढ, जिला अलवर, राजस्थान।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टहला जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 10.01.2022 तहसीलदार टहला प्रकरण संख्या 769/2021।

उपस्थितः–

01. श्री अनिल कुमार गुप्ता –वकील अपीलाण्ट्स
02. राजकीय अभिभाषक –वकील रेस्पोडैन्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार टहला के निर्णय दिनांक 10.01.2022 प्रकरण संख्या 769/2021 जिसके द्वारा संवत 2078 में ग्राम तालाव तहसील टहला की आराजी खसरा न0 1378 रकवा 1.78 है0 किस्म वारानी 2 वाड लगाकर अतिक्रमण करने पर 50 गुना पैनल्टी व वेदखली की कार्यवाही से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार राजगढ के समक्ष पेश करने पर तहसीलदार राजगढ के द्वारा पटवारी हल्का तालाव को आदेश दिये गये कि मौके की जांच कर फसल रवी 2078 मे वास्तविक अतिक्रमी के नाम धारा 91 भू राजस्व अधिनिमय की रिपोर्ट तैया कर न्यायालय टहला मे पेश कर कार्यवाही सुनिश्चित करे जिस आदेश पर पटवारी हल्का तालाव के द्वारा वाके ग्राम तालाव के खसरा न0 1378 रकवा 1.78 है0 किस्त वारानी की मौके की रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार टहला, अलवर के समक्ष पेश की गई जिस रिपोर्ट पर तहत अदालत द्वारा दिनांक 09.12.2021 को प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट/अतिक्रमी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

को धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस इस कदर जारी किया गया कि रिपोर्ट पटवारी से विदित हुआ है कि उपरोक्त आराजी पर आपने अतिक्रमण किया है। अतः आपको राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की उपधारा 3 के प्रावधानों के अनुसार जरिये हाजा आपको सूचना दी जाती है कि आप उपरोक्त आराजी से अपना कब्जा अन्दर सात योम हटालें अन्यथा नियमानुसार बेदखली व शास्ति संबंधी कार्यवाही आपके विरूद्ध की जावेगी। यदि आपको इस संबंध में उज्र हो तो दिनांक 15.12.2021 को हाजिर मु0 टहला अदालत होकर पेश करें। जिस दिन पक्षकार न्यायालय में उपस्थित थे और उसी दिन हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट का कब्जा मानते हुये अपीलान्ट के हक में पी–14 खसरा परिवर्तनशल जमा निर्धारण जारी की गई और न्यायालय में तारीख पेशी दिनांक 28.12.2021 नियत की गई। दिनांक 28.12.2021 को तहत अदालत के द्वारा उक्त पत्रावली पर आदेश जारी किया गया कि गैरसायल आनन्दी, अनोखी व हरिकृष्ण जाति ब्राह्मण निवासी तालाब को आराजी खसरा न0 1378 रकबा 1.78 है0 किस्म बारानी 2 वाके ग्राम तालाब से बेदखल किया जाता है। इस प्रकार उक्त आदेश से यह साबित था कि उक्त आराजी खसरा न0 पर अपीलांटान का कब्जा था और मौके पर फसल बोई हुई थी। राजस्व कैम्प में दिनांक 14.11.2021 को तहत अदालत के समक्ष रतनलाल नामक व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उसका आराजी खसरा न0 1378 पर कब्जा है इसलिये सम्वत 2078 की रिपोर्ट धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत करवाने की कृपा करें जिस प्रार्थना पत्र पर नायब तहसीलदार टहला द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक तालाब को जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिये लिखा गया जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा बगैर मौके पर गये ही व पटवारी हल्का की रिपोर्ट करवाये बिना ही रिपोर्ट की गई कि मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया की खसरा न0 1378 के कब्जे की रिपोर्ट रतनलाल के नाम चली आ रही है धारा 91 की रिपोर्ट सम्वत उपरोक्त के आधार पर प्रार्थी रतनलाल का कब्जा है। जिस रिपोर्ट जानकारी अपीलाण्ट को होने पर अपीलान्ट के द्वारा ऐतराजात किया गया और ऐतराजात किये जाने पर चूंकि भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मनमाने तौर पर रिपोर्ट पेश की गई थी जिस रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार टहला के द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कोई कार्यवाही नही की गई। प्रार्थी श्री रतनलाल पुत्र मूलचंद के प्रार्थना पत्र के अनुसार सिविल न्यायालय राजगढ के द्वारा उक्त खसरा न0 पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश श्रीमान तहसीलदार राजगढ को दिये गये थे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि पूर्व में सम्वत 2078 में खसरा न0 1378 की धारा 91 की रिपोर्ट को निरस्त किये जाने के आदेश फरमावें। जिस रिपोर्ट पर तहसीलदार टहला के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये गये कि पटवारी हल्का तालाब को भेजकर लेख है कि भू अभिलेख निरीक्षक तालाब की रिपोर्ट दिनांक 15.11.2021 पर धारा 91 की रिपोर्ट को निरस्त करें। जिस आदेश की अनुपालना में पटवारी हल्का के द्वारा रिपोर्ट दिनांक 18.11.2021 को निरस्त किये गये जो आदेश गैर कानूनी तरीके से पारित किये गये जो आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट का आराजी खसरा न0 1378 रकबा 1.78 है0 वाके ग्राम तालाब पर करीब 50 साल से कब्जा है एवं मिट्टी एवं पत्थर की दीवार बनाकर काश्त कर रहे हैं। तहत अदालत के द्वारा रिपोर्ट दिनांक 18.11.2021 को निरस्त किया गया है जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग दर्शाया गया है एवं पद की गरीमा के खिलाफ कार्य किया गया है। इस प्रकार तहत अदालत के द्वारा आदेश पारित किये गये है जो निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का तालाबा के द्वारा दिनांक 07.01.2022 को जो रिपोर्ट पेश की गई है उस रिपोर्ट में यथास्थिति के आधार पर रिपोर्ट भू राजस्व अधिनियम को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है वो

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

आदेश केवल मौके की यथास्थिति बनाये रखने के थे जिस समय आदेश पारित थे उस समय प्रार्थी अपीलान्ट का मौके पर कब्जा था उसके हक में कब्जे की रिपोर्ट आई थी। अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं जो नो स्पेकिंग आदेश है अपीलान्ट को बगैर सुने ही बाला बाला में पारित किये गये है। अदालत न्यायिक मजि0 राजगढ के समक्ष विचारणीय प्रकरण रतनलाल वनाम सरकार में एक राजीनामा पेश किया गया था जिस राजीनामा में वादी द्वारा अपीलान्ट का कब्जा स्वीकार किया गया था। अतः अपील मिन अपीलान्ट की ओर से पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर तहत अदालत तहसीलदार टहला जिला अलवर के आदेश दिनांक 10.01.2022 को निरस्त किया जावे और अपीलान्ट के कब्जे के आधार पर तहसीलदार टहला को आदेश दिये जावे कि अपीलान्ट के हक में नियमन की कार्यवाही की जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

पत्रावली में उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा पत्रावली में साक्ष्य उपलब्ध कराये कि पूर्व में 91 किसी और के नाम बनाई एवं ऐन वक्त पर उसकी निरस्त करके किसी और के नाम कार्यवाही की गई जिसका मौके पर कब्जा नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया में ऐन वक्त पर ऐसा कैसे किया जा सकता है। बिना मौका देखे ही मौके के अतिक्रमण की रिपोर्ट तैयार की गई। आदि तथ्य पत्रावली पर रिकॉर्ड के माध्यम से अपीलान्ट वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए। उक्त विश्लेषण के अनुसार अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया में त्रुटि पाई जाती है। अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार टहला के निर्णय दिनांक 10.01.2022 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि राजस्व टीत द्वारा विधिवत मौका निरीक्षण करवाकर यदि किसी का अतिक्रमण पाया जाता है तो सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए शख्त कार्यवाही करने की सुनिश्चतता करें। पूर्व में रिपोर्ट करने में किसी कर्मचारी द्वारा कोई गलती की गई है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार (द्वितीय) अलवर